

प्रपक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या 3517/एस0टी0-डी0एम0/2024

दिनांक 01 जुलाई, 2024

विषय :- ओ0ए0संख्या-737/2023, सोसाइटी फॉर वॉइस ऑफ ह्यूमन राईट्स एण्ड जस्टिस एवं अन्य बनाम महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाइनेन्स कम्पनी एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 10-05-2024 को प्रश्नगत प्रकरण में निम्न आदेश पारित किये गये :-

" The Tribunal by order dated 01-03-2024 has issued notice to respondents and had directed the District Magistrate Ghaziabad to ascertain the correct position relating to nature of land and extent of construction made thereon and submit the report. The District Magistrate, Ghaziabad has submitted the report dated 08-05-2024 but the said report does not clearly disclose the nature of land in survey nos. 2476, 1564 but gives the details of Khasra no 606 and in respect of that Khasra number also, the nature of land whether is a lake or not has not been disclosed. In the report, it is vaguely stated that in respect of the category/nature of the land, some case is pending before the Allahabad High Court in which the interim order has been passed but even the case number and other details of that pending case or the details of the interim order have not been disclosed.

Learned Counsel for Nagar Nigam, Ghaziabad has submitted that he will also obtain the details of the pending matter before the Allahabad High Court and will place of record the relevant material in this regard. The Municipal Corporation, Ghaziabad will also disclose the nature of the land as per ist recored and relevant supporting material thereto."

उपरोक्त पारित आदेशो के क्रम में उपजिलाधिकारी लोनी एवं सदर से आख्या प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी लोनी ने पत्र संख्या-5392/एस0टी0-एसडीएम-लोनी/2024 दिनांक 23 जुलाई, 2024 के द्वारा अवगत कराया है कि गाटा/आराजी संख्या- 606 ग्राम टीला शहबाजपुर परगना व तहसील लोनी के सीएच-41-45 एवं आधार वर्ष 1359 फ0 की खतौनी तथा वर्तमान खतौनी का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत गाटा/आराजी संख्या 606 ग्राम टीला शहबाजपुर परगना व तहसील लोनी वर्तमान में श्रेणी 1-क संकमणीय भूमिधरी के अन्तर्गत है। न्यायालय उपजिलाधिकारी लोनी द्वार आवेदक श्रीनितिन कोचर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 80 के अन्तर्गत किये गये ऑनलाईन आवेदन संख्या- टी-802024016526 में दिनांक 18-06-202 को आदेश पारित करते हुए प्रश्नगत भूमि स्थित ग्राम टीला शहबाजपुर खाता संख्या- 00490 गाटा संख्या- 606 रकबा 1.2030 है0 को तहसीलदार लोनी की आख्या दिनांक 01-06-2024 एवं शासनादेशों के क्रम में अकृषिक घोषित किया जा चुका है। गाटा संख्या- 606 ग्राम टीला शहबाजपुर तहसील लोनी जिला गाजियाबाद के प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। (छायाप्रति संलग्न)

उपजिलाधिकारी गाजियाबाद ने 83 संख्या-7979/एस0 टी0-एस0 डी0 एम0 /2024 दिनांक 26-07-2024 के द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत खसरा संख्या-1564 के सम्बन्ध में नगर निगम गाजियाबाद के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या- 11754/2002, नगर निगम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दायर की गयी है जो वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या-11754/2022 नगर निगम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नगर निगम की ओर से प्रभावी पैरवी किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त ग्राम पसौंडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या-2476 हिण्डन एयर फील्ड के नाम दर्ज है एवं हिण्डन एयर फोर्स मौके पर काबिज है। खतौनी की नकल संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न)

श्री संतोष कुमार राय, उपजिलाधिकारी गाजियाबाद को उपजिलाधिकारी लोनी एवं गाजियाबाद की उपरोक्त आख्या संलग्नको सहित इस निर्देश के साथ भेजा जा रहा है कि उपरोक्त से मा0 न्यायालय के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।
संलग्न :- यथोपरि।

भद्रदीय,

(इन्द्र विक्रम सिंह),
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

प्रतिलिपि :-

श्री संतोष कुमार राय, उपजिलाधिकारी गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि रजिस्ट्रारं, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को उपरोक्त आख्याओं से अवगत कराने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद



कार्यालय उप जिलाधिकारी गाजियाबाद ।

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE GHAZIABAD

पत्रांक: 7979/एस0टी0-एस0डी0एम0/2024 दिनांक: 26-07-2024

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद ।

विषय:—ओ0ए0 संख्या:—737/2023, सोसायटी फॉर राइट्स बनाम महालक्ष्मी लेण्ड एण्ड
फाइनेन्स जस्टिस एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या:—258/एस0टी0-डी0एम0/2024, दिनांक 06.07.2024, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को ग्राम पसौंडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 1564 के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण की जाँच तहसीलदार सदर गाजियाबाद से करायी गयी। तहसीलदार सदर गाजियाबाद के द्वारा प्रकरण की जाँच कराकर अपने कार्यालय पत्र संख्या:—1150/आर0सी0-24 दिनांक 26.07.2024 उपलब्ध करायी गयी है जिसमें उल्लिखित किया गया है कि प्रश्नगत खसरा संख्या 1564 के सम्बन्ध में नगर निगम, गाजियाबाद के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 11754/2002 नगर निगम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दायर की गई जो वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या 11754/2022 नगर निगम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नगर निगम की ओर से प्रभावी पैरवी किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त ग्राम पसौंडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 2476 हिण्डन एयर फील्ड के नाम दर्ज है एवं हिण्डन एयर फोर्स मौके पर काबिज है। खतौनी की नकल साथ संलग्न है।

उपरोक्तानुसार आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।
संलग्नक:—यथोपरि।


(अरुण दीक्षित)
उप जिलामजिस्ट्रेट
गाजियाबाद ।

विषय:-ओ0ए0 संख्या:-737/2023, सोसायटी फॉर राइट्स बनाम महालक्ष्मी लेण्ड एण्ड फाइनेन्स जस्टिस एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद के कार्यालय पत्र संख्या:-258/एस0टी0-डी0एम0/2024, दिनांक 06.07.2024, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को ग्राम पसौंडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 1564 के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत खसरा संख्या 1564 के सम्बन्ध में नगर निगम, गाजियाबाद के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 11754/2002 नगर निगम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दायर की गई जो वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या 11754/2022 नगर निगम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नगर निगम की ओर से प्रभावी पैरवी किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त ग्राम पसौंडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 2476 हिण्डन एयर फील्ड के नाम दर्ज है एवं हिण्डन एयर फोर्स मौके पर काबिज है। खतौनी की नकल साथ संलग्न है।

उपरोक्तानुसार आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-यथोपरि।


26-07-24
मनोज कुमार
लेखपाल


26/07/24
तहसीलदार
गाजियाबाद


26/07/24
उपजिलाधिकारी
गाजियाबाद



उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 217025202407151

ग्राम क्रमांक : 217025 ग्राम का नाम (परगना) : पसौन्डा (लोनी) तहसील : गाजियाबाद जनपद : गाजियाबाद
फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 03647

श्रेणी : 6-2 / अकृषिक भूमि - स्थल, सड़के, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
2476	हिन्दन एयर फील्ड / /			2476(2170252476000062)	0.0760			0.00

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- भूमि दशमलव भूमि सात छः भूमि (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व - भूमि दशमलव भूमि भूमि रूपध

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वादावादी की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) वंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) दथक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/दथक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) दथक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/दथक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

<p>Data Digitally Signed by: SUNIL KUMAR PAL (REVENUE INSPECTOR) दिनांक/समय/स्थान: 27-07-2024 01:07:34 तहसील : गाजियाबाद ☞ यह उद्घरण स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।</p>	<p>मुद्रित कर्ता : CHANDRANVL SINGH तहसील : गाजियाबाद मुद्रित दिनांक एवं समय: 27-07-2024 01:07:34 ☞ Not Applicable For Online Prints ☞ उपरोक्त उद्घरण खतमो का वैधिकीकरण https://appbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।</p>	
--	---	---



कार्यालय उप जिलाधिकारी⁸⁸ लोनी जनपद गाजियाबाद।

पत्र संख्या 5392 /एसटी-एसडीएम-लोनी/2024

दिनांक: 23 जुलाई 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

विषय: सोसायटी फॉर वॉयस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस एंड अन्य बनाम महालक्ष्मी लैंड एंड फाइनैस कंपनी एंड एन0आर0, ओए नंबर 737/2023 (आई0ए0 नंबर 68/2024) में दिनांक 01.03.2024 को माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 258/एसटी-डीएम/2024 दिनांक 06 जुलाई 2024 का स्नदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 737/2023 (आई0ए0 नंबर 68/2024) सोसायटी फॉर वॉयस ऑफ ह्यूमन राइट्स एवं जस्टिस एवं अन्य बनाम महालक्ष्मी लैंड एवं फाइनैस कंपनी एंड एन0आर0 में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 का अनुपालन करने एवं उक्त क्रम में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष आवेदन दायर करते हुए निम्नांकित शिकायते दर्ज की गयी थी-

(ए) शिकायत है कि सर्वे नं0 2476 और 1564, जिसमें राजस्व रिकार्ड के अनुसार 0.961 वर्ग गज का क्षेत्र शामिल है, एक झील (झील) है, लेकिन उस झील क्षेत्र पर, महालक्ष्मी लैंड एंड फाइनैस कंपनी, शालीमार पासोंडा, गाजियाबाद द्वारा अनियमितताओं के साथ आवासीय निर्माण किया जा रहा है।

(बी) इसके अलावा, एक और शिकायत यह है कि गाटा/आराजी संख्या 606 के रूप में पहचानी गई कृषि भूमि स्थित ग्राम टीला शाहबाजपुर, तहसील लोनी, गाजियाबाद में पृथ्वी लिंक और डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नितिन कोचर और अन्य द्वारा अनाधिकृत निर्माण गतिविधियां संचालित की गईं।

प्रश्नगत प्रकरण में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 01.03.2024 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं-

“.....4. Respondent no. 3, District Magistrate, Ghaziabad is direct to ascertain the correct position relating to nature of the land and also the extent of construction, if any, made on the land of the lake and submit the report at least one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.....”

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के अनुपालन के क्रम में सादर अवगत कराना कराना है कि सर्वे संख्या 2476 एवं 1564 तहसील सदर गाजियाबाद से संबंधित है, जिसमें कार्यवाही तहसील सदर गाजियाबाद से अपेक्षित है। प्रकरण में तहसील लोनी से कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। प्रकरण में श्री वरीन्द्र कुमार अधिवक्ता ऑन रिकार्ड, चैम्बर नं0 13 ओल्ड लायर्स चैम्बर ब्लॉक मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के ई-मेल दिनांक 19 अप्रैल 2024 पर महोदय के पृष्ठांकन आदेश संख्या: 837/एसटी दिनांक 19.04.2024 के क्रम में अथोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में विस्तृत आख्या पत्रांक 4079/एसटी-एसडीएम-लोनी-2024 दिनांक 07 मई 2024 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

जिसके उपरान्त दिनांक 10.05.2024 को मा० एन०जी०टी० द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं-

89

"The Tribunal by order dated 01-03-2024 has issued notice to respondents and had directed the District Magistrate, Ghaziabad to ascertain the correct position relating to nature of land and extent of construction made thereon and submit the report. The District Magistrate, Ghaziabad has submitted the report dated 08-05-2024 but the said report does not clearly disclose the nature of land in survey nos. 2476 and 1564 but gives the details of Khasra no 606 and in respect of that Khasra number also, the nature of land whether it is a lake or not has not been disclosed. In the report, it is vaguely stated that in respect of the category/nature of the land, some case is pending before the Allahabad High Court in which the interim order has been passed but even the case number and other details of that pending case or the details of the interim order have not been disclosed.

Learned Counsel for Nagar Nigam, Ghaziabad has submitted that he will also obtain the details of the pending matter before the Allahabad High Court and will place on record the relevant material in this regard. The Municipal Corporation, Ghaziabad will also disclose the nature of the land as per its record and relevant supporting material thereto."

उक्त के अनुपालन में तहसीलदार लोनी से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार लोनी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 20.07.2024 प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि गाटा/आरजी संख्या 606 ग्राम टीला शहबाजपुर परगना व तहसील लोनी के सीएच-41-45 एवं आधार वर्ष 1359 की खतौनी तथा वर्तमान खतौनी का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत गाटा/आरजी संख्या 606 ग्राम टीला शहबाजपुर परगना व तहसील लोनी वर्तमान में श्रेणी 1-क संक्रमणीय भूमिधरी के अन्तर्गत है। न्यायालय उपजिलाधिकारी लोनी द्वारा आवेदक श्री नितिन कोचर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत किये गये ऑनलाईन आवेदन संख्या: T-802024016526 में दिनांक 18.06.2024 को आदेश पारित करते हुए प्रश्नगत भूमि स्थित ग्राम टीला शहबाजपुर खाता संख्या 00490 गाटा संख्या 606 रकबा 1.2030 है० को तहसीलदार लोनी की आख्या दिनांक 01.06.2024 एवं शासनादेशों के क्रम में अकृषिक घोषित किया जा चुका है। गाटा संख्या 606 ग्राम टीला शहबाजपुर तहसील लोनी जिला गाजियाबाद के प्रकरण में कोई अन्य कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(निखिल चक्रवर्ती)
उपजिलाधिकारी
लोनी।

कृपया जिलाधिकारी गाजियाबाद महोदय, के पत्र संख्या: 258/एसटी-डीएम/2024 दिनांक 06 जुलाई 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करे, जिसके माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 737/2023 (आई0ए0 नम्बर 68/2024) सोसायटी फॉर वॉयस ऑफ ह्युमन राइट्स एवं जस्टिस एवं अन्य बनाम महालक्ष्मी लैंड एवं फाईनेंस कम्पनी एंड ए0एन0आर0 में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 का अनुपालन करने एवं उक्त क्रम में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष आवेदन दायर करते हुए निम्नांकित शिकायते दर्ज की गयी थी-

(ए) शिकायत है कि सर्वे नं0 2476 और 1564, जिसमें राजस्व रिकार्ड के अनुसार 0.961 वर्ग गज का क्षेत्र शामिल है, एक झील (झील) है, लेकिन उस झील क्षेत्र पर, महालक्ष्मी लैंड एंड फाईनेंस कंपनी, शालीमार पासोंडा, गाजियाबाद द्वारा अनियमितताओं के साथ आवासीय निर्माण किया जा रहा है।

(बी) इसके अलावा, एक और शिकायत यह है कि गाटा/आराजी संख्या 606 के रूप में पहचानी गई कृषि भूमि स्थित ग्राम टीला शाहबाजपुर, तहसील लोनी, गाजियाबाद में पृथ्वी लिंक और डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नितिन कोचर और अन्य द्वारा अनाधिकृत निर्माण गतिविधियां संचालित की गईं।

प्रश्नगत प्रकरण में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 01.03.2024 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं-

“.....4. Respondent no. 3, District Magistrate, Ghaziabad is direct to ascertain the correct position relating to nature of the land and also the extent of construction, if any, made on the land of the lake and submit the report at least one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.....”

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के अनुपालन के क्रम में सादर अवगत कराना कराना है कि सर्वे संख्या 2476 एवं 1564 तहसील सदर गाजियाबाद से संबंधित है, जिसमें कार्यवाही तहसील सदर गाजियाबाद से अपेक्षित है। प्रकरण में तहसील लोनी से कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। प्रकरण में श्री वरीन्द्र कुमार अधिवक्ता ऑन रिकार्ड, चैम्बर नं0 13 ओल्ड लायर्स चैम्बर ब्लॉक मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के ई-मेल दिनांक 19 अप्रैल 2024 पर महोदय के पृष्ठांकन आदेश संख्या: 837/एसटी दिनांक 19.04.2024 के क्रम में पूर्व में तहसील एवं प्रदूषण विभाग से संयुक्त आख्या दिनांक 06 मई 2024 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। जो महोदय द्वारा पत्रांक 4079/एसटी-एसडीएम-लोनी-2024 दिनांक 07 मई 2024 के माध्यम से जिलाधिकारी महादेय को प्रेषित की जा चुकी है।

जिसके उपरान्त दिनांक 10.05.2024 को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं-

"The Tribunal by order dated 01-03-2024 has issued notice to respondents and had directed the District Magistrate, Ghaziabad to ascertain the correct position relating to nature of land and extent of construction made thereon and submit the report. The District Magistrate, Ghaziabad has submitted the report dated 08-05-2024 but the said report does not clearly disclose the nature of land in survey nos. 2476 and 1564 but gives the details of Khasra no 606 and in respect of that Khasra number also, the nature of land whether it is a lake or not has not

been disclosed. In the report, it is vaguely stated that in respect of the category/nature of the land, some case is pending before the Allahabad High Court in which the interim order has been passed but even the case number and other details of that pending case or the details of the interim order have not been disclosed.

Learned Counsel for Nagar Nigam, Ghaziabad has submitted that he will also obtain the details of the pending matter before the Allahabad High Court and will place on record the relevant material in this regard. The Municipal Corporation, Ghaziabad will also disclose the nature of the land as per its record and relevant supporting material thereto."

उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि गाटा/आरजी संख्या 606 ग्राम टीला शहबाजपुर परगना व तहसील लोनी के सीएच-41-45 एवं आधार वर्ष 1359 की खतौनी तथा वर्तमान खतौनी का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत गाटा/आरजी संख्या 606 ग्राम टीला शहबाजपुर परगना व तहसील लोनी वर्तमान में श्रेणी 1-क संक्रमणीय भूमिधरी के अन्तर्गत है। न्यायालय उपजिलाधिकारी लोनी द्वारा आवेदक श्री नितिन कोचर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत किये गये ऑनलाईन आवेदन संख्या: T-802024016526 में दिनांक 18.06.2024 को आदेश पारित करते हुए प्रश्नगत भूमि स्थित ग्राम टीला शहबाजपुर खाता संख्या 00490 गाटा संख्या 606 रकबा 1.2030 हे० को तहसीलदार लोनी की आख्या दिनांक 01.06.2024 एवं शासनादेशों के क्रम में अकृषिक घोषित किया जा चुका है। गाटा संख्या 606 ग्राम टीला शहबाजपुर तहसील लोनी जिला गाजियाबाद के प्रकरण में कोई अन्य कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।
आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

महोदय
ज.स. उ.स. न.स.स.
म.स.स.स.स.
22-07-2024

महोदय
RI(B) and आख्या सादर
22/07/2024



कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD

फोन नम्बर (0120) 2821616, 2820106, 2828798 (फैक्स)

संख्या- 258 / एस0टी0-डी0एम0 / 2024

दिनांक- 06 जुलाई, 2024

उपजिलाधिकारी,
लोनी

विषय :- ओ0ए0संख्या-737 / 2023, सोसायटी फॉर हयूमन राइट्स बनाम महालक्ष्मी लेण्ड एण्ड फाइनेन्स जस्टिस एवं अन्य के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 09-05-2024 के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को कार्यालय के पत्र संख्या-3417 / एस0टी0-डी0एम0 / 2024 दिनांक 08 मई, 2024 के द्वारा अवगत कराया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-05-2024 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि जॉच रिपोर्ट में सम्बन्धित खसरा नम्बरो के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है। आपके पास मा0 एन0टी0टी0 द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि तहसील लोनी के दोनों खसरा नम्बरों के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को अवगत कराया जा सकें। प्रकरण में दिनांक 27-03-2024 को अधोहस्ताक्षरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिये गये हैं। अतः आप प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए दोनों खसरा नम्बरों के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराये।

संलग्न :- यथोपरि।

(इन्द्र विक्रम सिंह),
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

प्रतिलिपि :-

1- नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद को उपरोक्त ओ0ए0-737 / 2023 में पारित आदेश की प्रति सहित इस आशय के प्रेषित कि बिन्दु संख्या-05 के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

2- उपजिलाधिकारी सदर को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 10-05-2024 की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तहसील सदर के खसरा संख्या-1564 के सम्बन्ध में आख्या एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराये।

संलग्न :- यथोपरि।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

GHAZIABAD
DISTRICT**ORDER passed in Original Application No. 737/2023**

From : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in> Mon, Jun 24, 2024 12:16 PM
Subject : ORDER passed in Original Application No. 737/2023 1 attachment
To : District Magistrate, Ghaziabad <dmgha@nic.in>
Reply To : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in>

Respected Sir/Madam,

I am directed to forward a copy of
the **Order dated 10/05/2024 passed in Original Application No. 737/2023 (IA No. 68/2024) Society for Voice of Human Rights and Justice & Anr. Applicant(s) Versus Mahalaxmi Land and Finance Company & Ors. Respondent(s)** . for your kind perusal & necessary action.

for further correspondence please send all the documents on the new mail-id i.e.

judicial-ngt@gov.in

Kindly acknowledge the same.

REGARDS

CONSULTANT (Judicial)

☎(N.G.T.)(P.B.)☎ New Delhi☎



Society for Voice of Human Rights and Justice & Anr.pdf
238 KB

Item No. 12

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**Original Application No. 737/2023
(IA No. 68/2024)

Society for Voice of Human Rights and Justice & Anr.

Applicant(s)

Versus

Mahalaxmi Land and Finance Company & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 10.05.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: Ms. Deeksha Gaur, Adv. for Applicant

Respondent: Mr. Yagyawalkya Singh & Mr. Rishav Ranjan, Advs. for GDA
Mr. Malak Bhatt & Ms. Sukanya Joshi, Advs. for Municipal Corporation,
Ghaziabad**ORDER**

1. In this Original Application, the plea of the applicant is that survey nos. 2476 and 1564 comprising of an area 0.961 sq. yards as per revenue record is a lake but on that lake area residential construction is being done by respondent no. 1.

2. The Tribunal by order dated 01.03.2024 had issued notice to the respondents and had directed the District Magistrate, Ghaziabad to ascertain the correct position relating to nature of land and extent of construction made thereon and submit the report. The District Magistrate, Ghaziabad has submitted the report dated 08.05.2024 but the said report does not clearly disclose the nature of land in survey nos. 2476 and 1564 but gives the details of Khasra no. 606 and in respect of that Khasra number also, the nature of land whether it is a lake or not

5399/ST-SDM Loni

to
ST-DM GZB

has not been disclosed. In the report, it is vaguely stated that in respect of the category/nature of the land, some case is pending before the Allahabad High Court in which the interim order has been passed but even the case number and other details of that pending case or the details of the interim order have not been disclosed.

3. In the circumstances, we have no option but to direct that the District Magistrate, Ghaziabad will remain virtually present before the Tribunal on the next date of hearing.

4. ~~Learned~~ Counsel for the applicant submits that except for respondent nos. 1 and 10, all other respondents are served. She is permitted to take fresh steps for service of notice on the unserved respondents and file fresh affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

5. Learned Counsel for Nagar Nigam, Ghaziabad has submitted that he will also obtain the details of the pending matter before the Allahabad High Court and will place on record the relevant material in this regard. The Municipal Corporation, Ghaziabad will also disclose the nature of the land as per its record and relevant supporting material thereto.

6. List on 27.08.2024.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

May 10, 2024
Original Application No. 737/2023
(IA No. 68/2024)
SN